मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर,2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 19, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक-5 सन् 1991) की धारा 21 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-22-227-2002-आठ, दिनांक 15 जुलाई, 2004; तथा

(ख) क्रमांक एफ-22-18-2004-आठ, दिनांक 16 अगस्त, 2004

पटल पर रखेंगे.

3. सभा द्वारा यथापारित मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2002 के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

4. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, खाद्य विभाग द्वारा नियुक्त डीलरों/सबडीलरों के द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज सहित अनेक क्षेत्रों में उल्टी-दस्त के प्रकोप के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड जिले में ट्यूब वैलों से पानी न मिलने से फसलों को हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, बंशमणि प्रसाद वर्मा, अर्जुन पलिया, सदस्य, मैहर स्थित मां शारदा धाम के प्रधान पुजारी के सम्मान के संबंध में राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, लाल सिंह आर्य, सदस्य, इंदौर जिले के भू-अर्जन अधिकारी द्वारा ग्राम रंगवासा के कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले में साख सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा डी.ए.पी. खाद उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, जिला छतरपुर के बाल संप्रेषण गृह से कैदियों के फरार होने की ओर सामाजिक न्याय मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(8) श्री राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य, इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत भूमि अर्जन तथा भूमि का मुआवजा दिये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, ग्वालियर जिले की डबरा सुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने के दाम का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के ग्रामों में सरई विद्युत वितरण केंद्र द्वारा विद्युत प्रदाय न करने से फसलों को हुई क्षति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर बाजरा की फसल की खरीदी न किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य, बालाघाट जिले के बधौली ग्राम में स्थित सिद्धार्थ पोहा मिल के प्रदूषण से ग्रामीणों में फैल रही बीमारी की ओर राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले में अवर्षा के कारण फसल सूखने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य, छतरपुर जिले के थाना लौड़ी स्थित चंदला रोड पर रखे डामर के ड्रमों को असामाजिक तत्वों द्वारा जलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय विद्यालयों के संबंध में पूर्व आदेश को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने की ओर जल संसाधन
मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, सागर जिले के बीना में गार्ड द्वारा भय एवं आतंक फैलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले के सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा गन्ने का उचित मूल्य एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के जल संसाधन संभाग द्वारा सूखा राहत एवं विशेष घटक सूखा के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य, छतरपुर नगर के मुख्य मार्गों के डामरीकरण में जले हुये मोबिल का उपयोग किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश में नकली घी बनाने का कारोबार चलने के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के नगरीय निकाय चुनाव में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के जैसीनगर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले के थाना पोरसा एवं अम्बाह में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर गोली चालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं साइकिलों का प्रदाय न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री बाबूलाल महाजन, सदस्य, पश्चिम निमाड़ में लाल इल्ली के प्रकोप से कपास की फसल नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य, बुरहानपुर जिले के विकासखंड खकनार ग्राम पंचायत नानखेड़ा में स्टाप डेम के कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री सुदामा सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में ओला पीड़ित किसानों को राहत न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, जिला मुरैना से प्रदेश एवं बाहर किये गये आढ़त विक्रय पर फर्मो से शासन को राशि प्राप्त न होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्य, मुरैना जिले के सबलगढ़ जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से सिंचाई की मोटरे चोरी होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(32) श्री रामगुलाम उइके, सदस्य, जिला डिण्डोरी में शहपुरा क्षेत्र के ग्रामों में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के परिवारों की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, जिला मुरैना के चम्बल थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में अभद्र व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के परसवाड़ा के अनेक ग्रामों में किसानों की फसलें कान्हा पार्क के जानवरों द्वारा नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री सुभाष यादव, सदस्य, खरगोन जिले में खाद्य विभाग की लापरवाही के कारण आवंटित खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, होशंगाबाद जिले की पिपरिया तहसील अंतर्गत रामपुर में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद नगर के बेसली बांध में सिल्ट हटाने एवं किसानों को मुआवजा न देने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, रामनिवास रावत, राजेश पटेल, सदस्य, सतना जिले के धार्मिक स्थल चित्रकूट में जमीन विवाद के कारण महंत को जिन्दा जलाने से मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47-मलेहरा से निर्वाचित सदस्य, सुश्री उमा भारती को विधानसभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सभापति, लोक लेखा समिति का 1 से लेकर 58 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री रामदयाल अहिरवार, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री बंशीलाल जाटव, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्रीमती सुधा जैन, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.".

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम बनौली स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम मनकी एवं ग्राम पटी के मध्य मड़ाघाट का निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम इटौरा में शक्ति घाट स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम हरदुआ केन पर रपटा बनाये जाने,

(2) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) चौरई नगर में पालीटेकनिक कालेज खोले जाने,
(ख) चौरई नगर में व्यवहार न्यायालय खोले जाने,
(ग) ग्राम समसबाड़ा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने,
(घ) चौरई नगर में तहसील कार्यालय हेतु भवन निर्माण कराये जाने,
(ङ) चौरई तहसील में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का कार्यालय खोले जाने,
(च) ग्राम कुण्डा में उ.मा.वि. खोले जाने,
(छ) ग्राम झिलमिली में उ.मा.वि. भवन निर्माण कराये जाने,
(ज)चौरई नगर से छिन्दवाड़ा एवं चौरई से सिवनी तक सड़क नव निर्माण कराये जाने,
(झ) चौरई तहसील में उप-कोषालय खोले जाने,
(ञ) ग्राम सिहोरामाल में विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किये जाने,
(ट) ग्राम चांद में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,
(ठ) ग्राम बादगांव में विद्युत उप केन्द्र स्थापित किये जाने,
(ड) ग्राम समसवाड़ा से सांख तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ढ) ग्राम कुरचाढाना को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाये जाने,
(ण) ग्राम वाड़ीवाड़ा में पेंच नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(त) ग्राम हिवरखेड़ी में तालाब बनाये जाने,
(थ) ग्राम चीचगांव में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
(द) ग्राम हरदुआमाल से सीतासिर ग्राम के मध्य ओड़ापेंच नदी पर बांध बनाये जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले के -

(क) भोपाल से विदिशा-दीवानगंज मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) भोपाल के कमलापार्क स्थित कदीमा हम्माम पुरातत्व विभाग को सौंपे जाने,

(4) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम ताराडांड में विद्युतीकरण कराये जाने,

(5) श्री झनकलाल ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम छिन्दी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम दमुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम इन्दोख के छोटी काली सिन्ध नदी पर पुल निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम झारडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने,

(7) श्री हमीद काजी, सदस्य, बुरहानपुर जिले के लालबाग में स्थित उर्दू हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

9. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 20 जुलाई, 2004 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 3517) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

10. अशासकीय विधि विषयक कार्य

15 मि. श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 16 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

11. अशासकीय संकल्प

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिये, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, के लिये प्रतिवर्ष उनका संपत्ति विवरण सदन के पटल पर रखना अनिवार्य किया जावे और यही प्रावधान निगम मंडल के अध्यक्षों के लिये भी लागू हो इस हेतु शीघ्र नियम बनाये जावें."

(2) श्री निशिथ पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर को नियमित वायु-सेवा से जोड़कर इसे व्हाया भोपाल, इन्दौर, नई दिल्ली तथा जबलपुर से व्हाया भोपाल, इंदौर, मुंबई एवं वापसी जबलपुर तक वायु-सेवा प्रारंभ की जावे."

(3) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि प्रदेश के किसानों की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु नियम शिथिल किया जावे."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 9 दिसम्बर, 2004.